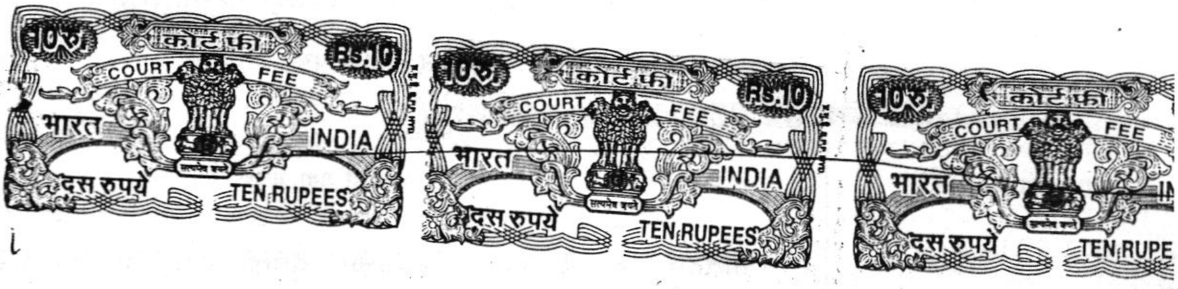

समक्ष माननीय अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

केम्प भोपाल

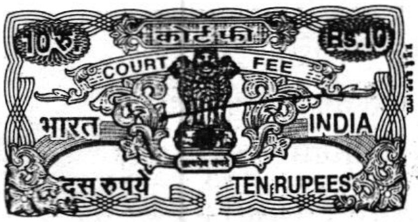

नि-गरानी-3590/2018/होशंगाबाद/भू.रा.स. निगरानी क्रमांक --

पी.बी.आर.भू.रा.होशं. /

प्रस्तुत दिनांक – 30 / 05 / 18

आवेदक –: धनसिंह आ. ईश्वरदास किरार

निवासी ग्राम पारखी तह. पिपरिया, जिला – होशंगाबाद

/ / वनाम् / /

अनावेदक –: खरगराम आ. लखनलाल किरार

निवासी ग्राम पारखी तह. पिपरिया, जिला – होशंगाबाद

आवेदक अभिभाषक श्री आशीष कुमार गुप्ता द्वारा भोपाल कैम्प में प्रस्तुत। 30/5/18

/ / निगरानी याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959 / /

/ / उत्पन्न / /

न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय पिपरिया जिला होशंगाबाद

राजस्व प्रकरण क्रमांक – 89ए6 / 1917–18 मौजा – पारखी

पक्षकार – खड्गराम वनाम् धनसिंह

~~आदेश दिनांक~~ 21/5/18

पेशी दिनांक – 07 / 06 / 2018

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3590/2018/होशंगाबाद/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9-7-2018	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसीलदार, पिपरिया जिला होशंगाबाद के आदेश दिनांक 21-5-18 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसीलदार द्वारा व्यवहार न्यायालय में व्यवहार वाद प्रस्तुत करने मात्र से म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 110 के अन्तर्गत कार्यवाही रोके जाने का प्रावधान नहीं होने के कारण आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया है, जिसमें कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	